Neutral Citation No. - 2024:AHC:142063

Court No. - 43 **A.F.R**

Case :- CRIMINAL APPEAL No. - 1992 of 2015

Appellant :- Durvesh Alias Pappu

Respondent :- State of U.P.

Counsel for Appellant :- Muskan Pandey,Arvendra Singh,Shashi Kumar Mishra

Counsel for Respondent :- Govt. Advocate

Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.

Hon'ble Dr. Gautam Chowdhary,J.

(माननीय डा० न्यायमूर्ति गौतम चौधरी द्वारा पारित न्याय- पत्र)

1. वर्तमान दाण्डिक अपील अपीलार्थी/अभियुक्त दुर्वेश उर्फ पप्पू की ओर से मु०अ०सं० 100/2013 अंतर्गत धारा 376 भा.दं.सं. एवं ¾ पॉक्सो एक्ट थाना किशनी, जिला मैनपुरी से उद्भूत सत्र परीक्षण सं. 367/2013 में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं. 01, मैनपुरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2015, जिसके द्वारा अपीलार्थी को धारा 376 भा.द.वि. के अपराध के लिए आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड़ तथा धारा ¾ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, के विरूद्ध दायर की गयी है।

2. वाद के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी वीरेन्द्र सिंह द्वारा एक लिखित तहरीर थानाध्यक्ष किशनी को इस आशय की दी गयी कि प्रार्थी ग्राम भोजपुर वंजारा, थाना किशनी का निवासी है। दिनॉक 03-04-13 को वह अपने घर पर मौजूद था, उसकी पुत्रियाँ, रतन सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय भोजपुर चौकोना के सामने कंडे पाथ रही थी, वहीं पर उसका लड़का प्रदीप कुमार खड़ा था, तभी गाँव का पप्पू उर्फ दुर्वेश पुत्र जवाहर सिंह आया और उसकी सबसे छोटी पुत्री (पीड़िता) उम्र करीब 8 वर्ष को टॉफी देने की कहकर अपने साथ स्कूल से आगे को लिवाकर ले गया। थोडी देर बाद समय करीव 9-00 बजे पीड़िता की चीख-पुकार सुनाई दी, तब कन्डे पाथ रही प्रार्थी की अन्य पुत्रियां तथा पुत्र प्रदीप कुमार चीख पुकार आने की तरफ भाग कर गये, उन्होंने देखा कि महाराम सिंह निवासी जमसिंहपुर के अरहर के खेत में पप्पू उर्फ दुर्वेश उसकी पुत्री पीड़िता के साथ बुरा काम

(बलात्कार) कर रहा था । प्रार्थी के पुत्र व पुत्रियों को देखकर अभियुक्त मौके से भाग गया। पीड़िता का गुप्तॉग फटकर काफी लहूलुहान हो रहा था, जिसे प्रार्थी तथा उसका दामाद राजवीर सिंह तथा परिवार वाले उपचार हेतु अस्पताल ले जा रहे थे कि 108 नम्बर गाड़ी ऊसराहार में मिल गई उससे पीड़िता को सरसई नावर अस्पताल ले गये, वहाँ के डाक्टर साहब ने पीड़िता की हालत गम्भीर होने के कारण जिला अस्पताल इटावा के लिये रेफर कर दिया। पीडिता को प्रार्थी के दामाद राजवीर सिंह व परिवार वाले लेकर गये हैं, जिसका उपचार इटावा में हो रहा है । अतः रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही किया जावे ।

3. प्रार्थी की उक्त तहरीर थाना किशनी में अपराध संख्या 100/13. धारा 376 भा० दं० वि० में दर्ज कर मामले की विवेचना की गयी । विवेचना के दौरान सम्बन्धित जिला महिला चिकित्सालय इटावा से पीड़िता का मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट तथा पूरक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया गया । सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र सरसई नावर की रिपोर्ट प्राप्त की गयी। घटना स्थल का मानचित्र बनाया गया, साक्षियों के कथन अंकित किये गये । घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी तथा पीड़िता की शर्ट व स्कर्ट खून आलूदा कब्जे पुलिस में लेकर फर्द तैयार किया गया। अभियुक्त दुर्वेश उर्फ पप्पू का कच्छा बरामद कर फर्द तैयार किया गया । विवेचनोपरान्त अभियुक्त दुर्वेश उर्फ पप्पू के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 376 भा०दं०वि० व धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम का अपराध साबित पाये जाने पर आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया । विद्वान अपर सिविल जज (अवर वर्ग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-5, मैनपुरी द्वारा पत्रावली सेशन सुपुर्द किया गया ।

4. अभियुक्त दुर्वेश उर्फ पप्पू के विरूद्ध दिनॉक 10-09-13 को धारा 376 भा०द०वि० व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध के लिये आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार करते हुये विचारण की माँग की गयी ।

5. अभियोजन द्वारा अपने कथन के समर्थन में अभियोजन साक्षी सं० 01 पीड़िता, अभियोजन साक्षी सं० 02 वीरेन्द्र सिंह, अभियोजन साक्षी सं० 03 कॉ० 815 जितेन्द्र सिंह, अभियोजन साक्षी सं० 04 डा० श्रीमती स्मिता सिंह, अभियोजन साक्षी सं० 05 डा० मोहम्मद अजहर सिद्दीकी, अभियोजन साक्षी सं० 06 डा० के० के० तिवारी, अभियोजन साक्षी सं० 07 प्रभारी निरीक्षक राजबहादुर शर्मा तथा अभियोजन साक्षी सं० 08 भगवान सिंह का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया गया। दस्तावेजीय साक्ष्य में अभियोजन की ओर से तहरीर प्रदर्श क-1, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-2. जी०डी० संख्या 19 समय 11.30 बजे प्रदर्श क-3, जी० डी० संख्या 37 समय 22.00 बजे प्रदर्श क-4, तथा जी०डी० प्रदर्श क-5, मेडीकल रिपोर्ट

प्रदर्श क-6. पूरक मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श क-7, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र सरसई नावर द्वारा थानाध्यक्ष किशनी को लिखे पत्र प्रदर्श क-8, डा० के० के० तिवारी जिला चिकित्सालय इटावा की रिपोर्ट प्रदर्श क-9, नक्शा नजरी प्रदर्श क-10, फर्द लेने कब्जे पुलिस खून आलूदा व सादी मिट्टी प्रदर्श क-11, फर्द लेने कव्जे पुलिस शर्ट व स्कर्ट पीड़िता प्रदर्श क-12, फर्द वावत् लेने कब्जे पुलिस एक कच्छा अभियुक्त दुर्वेश उर्फ पप्पू प्रदर्श क-13, आरोप पत्र प्रदर्श क-14 तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट 36-अ प्रस्तुत किया गया ।

6. **अभियोजन साक्षी सं० 01-** पीडिता ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिये गये कथन में बताया कि उसके साथ बुरा काम हुआ था। **साक्षी ने पीछे देखकर कहा कि अभियुक्त दुर्वेश जो हाजिर अदालत है ने उसके साथ सुबह बुरा काम किया था । उक्त अभियुक्त ने उसके साथ खेत में बुरा काम किया था, बुरा काम के समय उसके शरीर से खून निकला था । इसके बाद उसका इलाज अस्पताल में चला था, जिस खेत में उसके साथ बुरा काम किया गया था उस खेत में अरहर की फसल खड़ी हुयी थी ।** अभियुक्त द्वारा बुरा काम करते समय वह चिल्लाई थी, चिल्लाने पर चाचा आ गये थे, चाचा ने पूछा कि तुम्हारे साथ किसने बुरा काम किया तब उसने बताया कि दुर्वेश ने बुरा काम किया है ।

इस साक्षी ने दिनाँक 17-01-14 को अपने प्रतिपरीक्षण में दिये गये कथन में बताया कि आज वह अपनी मम्मी पापा के साथ आई है । हाजिर अदालत मुल्जिम रिश्ते में उसका चाचा लगता है, हाजिर अदालत मुल्जिम दुर्वेश उर्फ पप्पू उसे अरहर के खेत में नहीं ले गया था और ना हीं अरहर के खेत में टॉफी आदि कुछ खाने को दिया था, बुरा काम का मतलब गाली देने से होता है। मुल्जिमान ने उसका कच्छा व स्कर्ट नहीं उतारी थी, मुल्जिमान ने अपनी पेशाब का रास्ता उसके पेशाब के रास्ते में नहीं डाली ली। भैंस के सींग मार देने से उसकी पेशाब के रास्ते में चोट आई थी। पुलिस ने उससे कोई पूँछतांछ नहीं किया था, उसके पिता ने क्या रिपोर्ट लिखाई उसे नहीं मालूम । इस स्तर पर इस साक्षी को ए०डी०जी०सी० फौजदारी द्वारा पक्षविरोधी घोषित करते हुये न्यायालय की अनुमति से प्रतिपरीक्षण किया गया । इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में दिये गये कथन में बताया कि उसका इलाज जिला इटावा में चला था 10-12 दिन अस्पताल में भर्ती रहकर उसका इलाज चला था, वह आज से पूर्व इसी अदालत में बयान देने आई थी और सही बयान दिया था ।

7. अभियोजन साक्षी सं० 02- वीरेन्द्र सिंह ने विचारण न्यायालय में बयान दिया है कि पीड़िता उसकी पुत्री है, घटना के समय उसकी उम्र 8 वर्ष थी । आज से 10-12 माह पहले की

घटना है, समय दिन के 8-00 बजे का था वह अपने घर पर मौजूद नहीं था उसकी पुत्री अर्चना और पीड़िता विद्यालय के पास कन्डे पाथ रही थी, उस समय उसका लड़का प्रदीप वहाँ नहीं था पीड़िता को कोई भी व्यक्ति टॉफी देने के बहाने नहीं ले गया था । पीड़िता के साथ हाजिर अदालत मुल्जिम पप्पू उर्फ दुर्वेश द्वारा कोई भी बुरा काम (बलात्कार) नहीं किया गया था। वह दस्तखत करना जानता है कागज संख्या 53/3 को देखकर कहा कि इस पर उसके हस्ताक्षर हैं जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया ।

इस स्तर पर इस साक्षी को ए०डी०जी०सी० फौजदारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित करते हुये प्रतिपरीक्षण में सवाल पूछे गये । साक्षी ने बताया कि भगवान सिंह वंजारा उसका भतीजा है प्रदर्श क-1 उसके भतीजे भगवान सिंह का लिखा हुआ है उसने भगवान सिंह को कुछ नहीं बोला था वह तथा भगवान सिंह थाना किशनी नहीं गये थे । प्रदर्श क-1 न तो उसने अपने घर पर और न ही थाना किशनी में लिखवाया था उसे अस्पताल इटावा से पुलिस लेकर आई तब थाने में रिपोर्ट लिखाई थी । इटावा से उसे थाना किशनी की पुलिस लेकर आई थी, पुलिस वाले एक मार्शल में थे, पुलिस वालों को इटावा इलाज कराने की बात गाँव वालों ने झूठा फोन करके बता दिया था । उसकी पुत्री को टाफी देने वाली बात तथा उसके साथ बुरा काम करने वाली बात दरोगाजी ने लिखवाई थी । उसने प्रदर्श क-1 दरोगा जी द्वारा झूठा लिखाने वाली बात की शिकायत मौखिक अथवा लिखित किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी को नहीं की थी । वह घटना के दिन घर पर नहीं था, वह घटना के 2-3 दिन बाद घर पर आया था, वह पीड़िता को इलाज हेतु स्वयं नहीं ले गया था, गाँव वाले ले गये थे । घटना के 2-3 दिन बाद पीड़िता के इलाज होने वाले अस्पताल गया था । जिस दिन अस्पताल पहुँचा उसी दिन शाम को दरोगा जी अस्पताल से थाने लाये थे । उसकी पुत्री पीड़िता भैंस के पास से गोबर उठा रही थी, भैंस घर पर बंधी थी, उसे नहीं पता कि पीड़िता खडे होकर गोबर उठा रही थी अथवा बैठकर। दरोगा जी से उसकी कोई लड़ाई नहीं थी और न ही पप्पू उर्फ दुर्वेश से उसकी कोई लड़ाई थी। इस साक्षी ने अपने कथन में यह भी बताया कि उसके बयानों में अभियुक्त पप्पू उर्फ दुर्वेश द्वारा बलात्कार कर चोटें पहुँचाने वाली बात गलत लिखी है, जिसकी कोई वजह नहीं बता सकता । इस साक्षी ने अपने कथन में यह भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री पीड़िता का इलाज इटावा में 8 दिन चला था ।

8. **अभियोजन साक्षी सं० 3-** कॉ० 815 जितेन्द्र सिंह एक औपचारिक साक्षी है जिसने अपने द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में बयान दिया है तथा आवश्यक फर्द प्रदर्श आदि को साबित किया है।

9. **अभियोजन साक्षी सं० 4-** डा० साक्षी श्रीमती स्मिता सिंह ने अपने कथन में बताया कि दिनाँक 03-04-13 को वह डा. बी० आर० ए० ज्वॉइट हास्पिटल फीमेल इटावा में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थी, उस दिन उसने पीड़िता उम्र 7 वर्ष पुत्री वीरेन्द्र सिंह निवासी भोजपुर जिला-मैनपुरी का समय 11.45 ए०एम० पर जिसे ई०एम०टी० मुकेश कुमार गाड़ी संख्या 108 यू0 पी041 जी /633 सरसई नावर लेकर आया था और पीड़िता की शिनाख्त की थी का परीक्षण किया था । **उसकी राय में शुक्राणु होने का कारण दिनाँक 03-04-14 को सुबह करीब 9-00 बजे पीड़िता के चोट जबरदस्ती बलात्कार किये जाने से आना सम्भव है।** पूरक रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है इस पर प्रदर्श क-7 डाला गया ।

10. **अभियोजन साक्षी सं० 5-** डा० मोहम्मद अजहर सिद्दीकी ने अपने कथन में बताया कि दिनाँक 03-04-13 को वे सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र सरसई नावर पर तैनात थे। उस दिन पीड़िता पुत्री वीरेन्द्र सिंह उम्र 8 वर्ष ग्राम भोजपुर थाना किशनी को समय 10-10 ए०एम० पर गम्भीर हालत में उसके परिवारीजन द्वारा सरकारी एम्बुलेन्स संख्या 108 द्वारा लाया गया था उसके परिवारीजनों ने बताया कि पीड़िता के साथ बुरा काम (बलात्कार) हुआ है। **उसने उसे देखा, पीड़िता के गुप्तांग से रक्त-श्राव हो रहा था।** पीड़िता की गम्भीर हालत को देखते हुये उसे प्राथमिक उपचार देने के वाद जिला अस्पताल इटावा को रेफर किया था । कागज संख्या 17-अ सूचना उसने थाना किशनी को भिजवाई थी, जो उसके बोलने पर फार्मासिस्ट द्वारा लिखा गया था, इस पर उसने अपने हस्ताक्षर किये थे, इस पर प्रदर्श क-8 डाला गया।

11. **अभियोजन साक्षी सं० 6-** साक्षी डा० के० के० तिवारी ने अपने कथन में बताया कि दिनाँक 03-04-13 को वह जिला चिकित्सालय इटावा में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात थे, उस दिन उसने पीड़िता की योनि से शुक्राणु परीक्षण की जॉच हेतु डा० स्मिता सिंह द्वारा पीड़िता पुत्री वीरेन्द्र सिंह निवासी भोजपुर थाना किशनी की स्लाइड सील बंद हालत में भेजी गई थी, उसने दौरान परीक्षण उसमें कुछ शुक्राणु मृत पाये थे तथा कहीं-कहीं कुछ शुक्राणु जीवित पाये थे । रिपोर्ट वरवक्त परीक्षण तैयार की थी इस पर उसके हस्ताक्षर हैं । इस पर प्रदर्श क-9 डाला गया । यह कहना सही है कि पीड़िता के साथ दिनाँक 03-04-13 को सुवह करीव 9-00 बजे बलात्कार होना सम्भव है।

12. **अभियोजन साक्षी सं० 7-** साक्षी प्रभारी निरीक्षक रामबहादुर शर्मा एक औपचारिक साक्षी है जिसने अपने द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में बयान दिया है तथा आवश्यक फर्द प्रदर्श आदि को साबित किया है।

13. **अभियोजन साक्षी सं० 8-** साक्षी भगवान सिंह ने अपने कथन में बताया कि वह कक्षा-8 तक पढ़ा है, प्रदर्श क-1 को देखकर कहा कि यह उसके हाथ का लिखा है इस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने यह प्रार्थना पत्र पुलिस स्टेशन में लिखा था, इस पर वादी वीरेन्द्र सिंह के भी हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श क-1 दरोगा जी ने बोलकर लिखाया है ।

14. दस्तावेजीय साक्ष्यः- पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट

सामान्य बाह्य परीक्षणः-

ऊँचाई 140.5 से०मी० दॉत 14 X 14 उसकी हालत

गम्भीर थी। उसकी पहिनी हुई स्कर्ट तथा दोनों टाँगे खून से पूरी तरह सनी हुई थी ।

आन्तरिक परीक्षणः-

गुप्तॉग (योनि) से गम्भीर खून निकल रहा था । हाईमन झिल्ली फटी हुई थी तथा ताजा खून आ रहा था। वेजाइनल स्मियर की स्लाइड तैयार कर सील मुहर कर पैथोलोजिस्ट जिला अस्पताल भेजी गई थी तथा पेरीनियल हिस्से में एक से० मी० टीयर (फटा हुआ) पोस्ट वेजाइनल वाल पर था। यूरेथिबल हिस्से में कोई चोट नहीं थी, कागज संख्या 11-अ उसने वरवक्त मुआयना अपने हस्तलेख में तैयार की थी। पीड़िता के पहिचान चिन्ह अंकित किये थे तथा उसका आर. टी. आई. लगवाया था। रिपोर्ट उसके द्वारा लिखित व हस्ताक्षरित है, इस पर प्रदर्श क-6 डाला गया तथा पूरक रिपोर्ट उसने पैथोलौजी रिपोर्ट मिलने के वाद तैयार की थी, जिसमें **पैथोलौजी की रिपोर्ट 23/13 थी जिसमें शुक्राणु कुछ जीवित तथा कुछ मृत पाये गये थे।**

15. अभियोजन साक्षियों के बयान के आधार पर अभियुक्त का धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बयान लिया गया, जिसमें उसने बताया कि वह निर्दोष है उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा चलाया गया है, डॉ द्वारा झूठी रिपोर्ट तैयार की गयी, विवेचक द्वारा झूठी कार्यवाही की गयी तथा पीड़िता एवं वादी वीरेन्द्र सिंह ने उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दिया है अन्य साक्षियों ने झूठी गवाही दिया है।

16. सत्र न्यायाधीश ने मामले में दिये गये तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह अभिमत व्यक्त किया है किः-

(1) पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षण में दिये गए कथन में अभियोजन कहानी का पूरी तरह से समर्थन किया है, किन्तु लगभग दो माह पश्चात बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी को फोड़ लिए जाने के कारण इस साक्षी ने अभियोजन कहानी से इंकार किया है, किन्तु इस साक्षी ने अपने कथन में स्वीकार किया कि उसने उक्त तिथि से पूर्व जो न्यायालय में बयान दिया है, वह सही दिया है। सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता के इस बयान को इस आधार पर स्वीकार किया है कि **न्याय दृष्टॉन्त 2005 (53) ए. सी. सी. पृष्ठ 553 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) मुन्ना सिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में उच्च न्यायालय द्वारा साक्षी के प्रतिपरीक्षण में दिए गए कथन को स्वीकार न करते हुए इसके मुख्य परीक्षण में दिये गये कथन को सत्य व विश्वसनीय पाते हुए लिखित रिपोर्ट को विश्वसनीय माना गया। माननीय उच्च न्यायालय का उक्त न्याय दृष्टॉन्त प्रस्तुत मामले में लागू होता है।

(2) सत्र न्यायाधीश ने यह भी अभिमत व्यक्त किया है कि **न्याय दृष्टॉन्त 2015 (88) ए. सी. सी. पृष्ठ 139 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) अल्ताफ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में यह कहा गया है कि उक्त मामले की अवयस्क बालिका से बलात्कार के मामले में पीड़िता पी०डब्लू0-1 ने न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में दिये गये कथन में अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुये बताया कि अपीलार्थी/ अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया, किन्तु उक्त तिथि को साक्षी का प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया और यह साक्षी आगामी तिथि पर जब प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित हुयी तब इस साक्षी ने यूटर्न लेते हुये अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में दिये गये कथन से स्पष्ट हुआ कि यह साक्षी सफेद झूठ बोल रही है, क्योंकि वादी पक्ष और अभियुक्त के मध्य अवैध रूप से समझौता हो गया था या डर या भय के कारण पीड़िता ने प्रतिपरीक्षण में दिये गये कथन में मुख्य परीक्षण से अलग हटकर कथन किया । तब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा सही ढंग से साक्षी के मुख्य परीक्षण में दिये गये कथन को विश्वसनीय मानते हुये अभियोजन कहानी मेडिकल साक्ष्य, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट तथा विवेचना अधिकारी के कथन से संम्पुष्ट होने के कारण अभियुक्त को उचित आधार पर दोषसिद्ध किया गया। इस कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील को निरस्त कर दिया गया । माननीय उच्च न्यायालय का उक्त न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत मामले में लागू होता है ।

(3) प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 03.04.2013 को सुबह के लगभग 09 बजे की बतायी गयी है जिसमें अभियुक्त द्वारा लगभग 8 वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार करना कहा गया, जिसके फलस्वरूप उसका गुप्तांग फटकर काफी लहुलुहान हो गया। पीड़िता के भाई-बहन एवं रिश्तेदारों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया अस्पताल में पीड़िता का उचित इलाज किया गया तथा वेजाइना से ब्लीडिंग होने के कारण उक्त स्वास्थ केन्द्र पर महिला चिकित्सक न होने के कारण जिला अस्पताल इटावा को रेफर कर दिया गया, चिकित्सक द्वारा पुलिस को लिखित तहरीर भेजी गयी तथा डाक्टर एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा समस्त प्रदर्शों को साबित किया गया।

(4) विवेचक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात मौके पर जाकर घटना स्थल अरहर के खेत से खून अलूदा व सादा मिट्टी साक्षियों के समक्ष कब्जे में लेकर फर्द तैयार की गयी, जिला महिला चिकित्सालय इटावा जाकर पीड़िता का खून अलूदा कपड़े शर्ट व स्कर्ट जिसमें काफी मात्रा में खून के धब्बे लगे थे को साक्षियों के समक्ष कब्जे पुलिस में लेकर मौके पर सील मुहर करके फर्द तैयार की गयी, वादी मुकदमा विरेन्द्र सिंह का कथन केस डायरी में अंकित किया गया तथा अन्य साक्षियों का भी बयान लिया गया तथा सभी प्रदर्शों को संबंधित साक्षियों द्वारा साबित किया गया है तथा उन्होंने **उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह भी पाया है कि वादी मुकदमा विरेन्द्र सिंह व तहरीर लेखक भगवान सिंह द्वारा अभियुक्त दुर्वेश उर्फ पप्पू के प्रभाव में आकर न्यायालय के समक्ष असत्य कथन किया गया है।**

(5) विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा की रिपोर्ट 36-अ में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पीड़िता के स्कर्ट पर शुक्राणु व मानव वीर्य पाये गए, खून अलूदा मिट्टी तथा पीड़िता के शर्ट में रक्त के धब्बे पाये गये। जो संबंधित चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया गया है।

(6) इस प्रकार दस्तावेजीय व मौखिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 03.04.2013 को 09.00 बजे प्रातः पीड़िता के साथ अरहर के खेत में निश्चित रूप से बलात्कार किया गया था जिससे उसका गुप्तांग फट गया था। समस्त दस्तावेजीय साक्षियों द्वारा प्रमाणित किये गये हैं जिनसे स्पष्ट है कि घटना के दिनांक को पीड़िता के भैंस के सींग मार देने से उसके योनि में चोटें नहीं आई, बल्कि उसके साथ निश्चित

रूप से बलात्कार किया गया था। यह तथ्य मेडिकल साक्ष्य व अन्य दस्तावेजीय साक्ष्यों से भी युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित है।

(7) पीड़िता के साथ उक्त बलात्कार की घटना अभियुक्त दुर्वेश उर्फ पप्पू के द्वारा ही कारित की गयी है यह पीड़िता के मुख्य परीक्षण में दिये गये बयान से साबित है क्योंकि उसने न्यायालय के समक्ष कटघरे में पीछे मुड़कर देखकर बताया है कि उसके साथ बुरा काम इसी अभियुक्त ने अरहर के खेत में किया था। अरहर के खेत में फसल खड़ी थी, वह चिल्लाई तब उसके चाचा आ गये थे, चाचा के पूछने पर उसने बताया था कि दुर्वेश ने उसके साथ बुरा काम किया था।

17. उपरोक्त आधारों पर सत्र न्यायाधीश ने यह पाया अभियोजन पक्ष ने अपना मामला उचित संदेह से परे स्थापित किया है, जिसके आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 376 भा०दं०वि० के अपराध के लिये आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थ दण्ड तथा धारा ¾ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध के लिए दस वर्ष के कारावास व बीस हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।

18. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शशि कुमार मिश्रा एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्तागण श्री विकास गोस्वामी एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सुश्री मुस्कान पाण्डेय विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

19. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी को रंजिशन इस मामले में असत्य व कपोल-कल्पित तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया है, कथित पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष अपने प्रतिपरीक्षण में दिये गये कथन में बताया कि "मुल्जिम रिश्ते में उसका चाचा लगता है, हाजिर अदालत मुल्जिम दुर्वेश उर्फ पप्पू उसे अरहर के खेत में नहीं ले गया था और न हीं अरहर के खेत में टॉफी आदि कुछ खाने को दिया था, बुरा काम का मतलब गाली देने से होता है। मुल्जिमान ने उसका कच्छा व स्कर्ट नहीं उतारी थी, मुल्जिमान ने अपनी पेशाब का रास्ता उसके पेशाब के रास्ते में नहीं डाली ली। भैंस के सींग मार देने से उसकी पेशाब के रास्ते में चोट आई थी। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं किया था, उसके पिता ने क्या रिपोर्ट लिखाई उसे नहीं मालूम" इस स्तर पर उसे विचारण न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, यद्यपि प्रश्नगत प्रकरण में पीड़िता अवयस्क है, किंतु पीड़िता के पिता/अभियोजन साक्षी 02 द्वारा भी न्यायालय के समक्ष अपने परीक्षण में दिये गये कथन में बताया कि "आज से 10-12 माह पहले की घटना है, समय दिन के 8-00 बजे का

था वह अपने घर पर मौजूद नहीं था उसकी पुत्री अर्चना और पीड़िता विद्यालय के पास कन्डे पाथ रही थी, उस समय उसका लड़का प्रदीप वहाँ नहीं था पीड़िता को कोई भी व्यक्ति टॉफी देने के बहाने नहीं ले गया था । पीड़िता के साथ हाजिर अदालत मुल्जिम पप्पू उर्फ दुर्वेश द्वारा कोई भी बुरा काम (बलात्कार) नहीं किया गया था।"

20. इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण के मुख्य अभियोजन साक्षी 01 एवं अभियोजन साक्षी 02 को पक्षद्रोही घोषित किया जा चुका है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक एक नवयुवक है व अत्यंत ही गरीब पारिवारिक पृष्ठिभूमि से है। अपीलार्थी द्वारा कारित यह प्रथम अपराध है, इसके पूर्व का उसका अन्यत्र आपराधिक इतिहास नहीं है। इसलिए अपीलार्थी को दण्डित सजा के मामले में नरम रुख अपनाते हुए उसके द्वारा अब तक कारागार में बितायी गयी निरूद्धि अवधि को पूर्ण मानते हुए उसे कारागार से मुक्त कर दिया जाय, अन्यथा आजीवन कारावास की सजा से अपीलार्थी का संपूर्ण जीवन अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में **Criminal Appeal No. 3309/2020 (Suresh Kumar vs State of U.P and Another)** में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2023 तथा **Jail Appeal No. 75/2021 (Sonu Kanoujia vs State of U.P. and Another)** में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2022 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया।

21. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा लगभग 8 वर्षीय मासूम पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुराचार किया गया, जिसके कारण एक अबोध/अवस्यक लड़की को अपने जीवन में दुर्व्यवहार से अवसाद, बाध्यकारी विकार, कम आत्मसम्मान और मानसिक पक्षाघात का सामना करना पड़ता है और समाज में महिलाओं की पहुँच को सीमित करता है। इस प्रकार विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया है, जिसके तहत एक अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है और उपरोक्तानुसार सजा सुनायी गयी है।

22. उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मुस्कान पाण्डेय ने तर्क प्रस्तुत किया कि तथाकथित घटना कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी विलम्ब के दर्ज करायी गयी है, अभियुक्त का परीक्षण विचारण न्यायालय में किया गया जिसमें अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोपों की पूर्णतः पुष्टि हुई है, एफ.एस.एल रिपोर्ट अभियोजन द्वारा बखूबी साबित किया गया है जिसमें पीड़िता के कपड़ों पर Spermatozoa (Few dead and occasional alive spermatozoa are seen) पाया गया व चिकित्सीय साक्ष्य में जिसे अभियोजन द्वारा पूर्णतः साबित किया गया, पीड़िता ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का

समर्थन किया है। अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा एक जघन्य अपराध "**पीड़िता उम्र मात्र 7 वर्ष"** के साथ किया गया है, अभियुक्त कारित अपराध एक जघन्य एवं घृणित किस्म का अपराध है, यदि " इस तरह के अपराधी को वर्तमान मे समाज में खुला छोड़ा जाना न्यायहित में व समाज के वर्तमान परिवेश में उचित नहीं होगा। ताकि इस उम्र के अबोध बालको को अपना बचपन स्वछन्द रूप से जी सके।" उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में न्यायालय का ध्यान निम्नलिखित नजीरों की ओर आकृष्ट किया:-

(1) **T.K. Gopal V/S State of Karnataka 2000 (6) SCC 168**

(2) **Bhaggi Alias Bhagirath Alias Naran V/S State of Madhya Pradesh (2024) 5 SCC 782**

23. **हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना तथा विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख सहित पत्रावली पर रखी गयी सामग्री का सम्यक रूप से परिशीलन किया एवं उन पर गहनतापूर्वक विचार किया।**

24. प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 03.04.2013 को सुबह के लगभग 09 बजे की बतायी गयी है जिसमें अभियुक्त द्वारा लगभग 8 वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार करना कहा गया, जिसके फलस्वरूप उसका गुप्तांग फटकर काफी लहुलुहान हो गया। पीड़िता के भाई-बहन एवं रिश्तेदारों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया अस्पताल में पीड़िता का उचित इलाज किया गया तथा वेजाइना से ब्लीडिंग होने के कारण उक्त स्वास्थ केन्द्र पर महिला चिकित्सक न होने के कारण जिला अस्पताल इटावा को रेफर कर दिया गया, चिकित्सक द्वारा पुलिस को लिखित तहरीर भेजी गयी तथा डाक्टर एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा समस्त प्रदर्शों को साबित किया गया।

25. विवेचक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात मौके पर जाकर घटना स्थल अरहर के खेत से खून अलूदा व सादा मिट्टी साक्षियों के समक्ष कब्जे में लेकर फर्द तैयार की गयी, जिला महिला चिकित्सालय इटावा जाकर पीड़िता का खून अलूदा कपड़े शर्ट व स्कर्ट जिसमें काफी मात्रा में खून के धब्बे लगे थे को साक्षियों के समक्ष कब्जे पुलिस में लेकर मौके पर सील मुहर करके फर्द तैयार की गयी, वादी मुकदमा विरेन्द्र सिंह का कथन केस डायरी में अंकित किया गया तथा अन्य साक्षियों का भी बयान लिया गया तथा सभी प्रदर्शों को संबंधित साक्षियों द्वारा साबित किया गया है तथा उन्होंने **उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह भी पाया है**

कि वादी मुकदमा विरेन्द्र सिंह व तहरीर लेखक भगवान सिंह द्वारा अभियुक्त दुर्वेश उर्फ पप्पू के प्रभाव में आकर न्यायालय के समक्ष असत्य कथन किया गया है।

26. विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा की रिपोर्ट 36-अ में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पीड़िता के स्कर्ट पर शुक्राणु व मानव वीर्य पाये गए, खून अलूदा मिट्टी तथा पीड़िता के शर्ट में रक्त के धब्बे पाये गये। जो संबंधित चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया गया है।

27. इस प्रकार दस्तावेजीय व मौखिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 03.04.2013 को 09.00 बजे प्रातः पीड़िता के साथ अरहर के खेत में निश्चित रूप से बलात्कार किया गया था जिससे उसका गुप्तांग फट गया था। समस्त दस्तावेजीय साक्षियों द्वारा प्रमाणित किये गये हैं जिनसे स्पष्ट है कि घटना के दिनांक को पीड़िता के भैंस के सींग मार देने से उसके योनि में चोटें नहीं आई, बल्कि उसके साथ निश्चित रूप से बलात्कार किया गया था। यह तथ्य मेडिकल साक्ष्य व अन्य दस्तावेजीय साक्ष्यों से भी युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित है।

28. पीड़िता के साथ उक्त बलात्कार की घटना अभियुक्त दुर्वेश उर्फ पप्पू के द्वारा ही कारित की गयी है यह पीड़िता के मुख्य परीक्षण में दिये गये बयान से साबित है क्योंकि उसने न्यायालय के समक्ष कटघरे में पीछे मुड़कर देखकर बताया है कि उसके साथ बुरा काम इसी अभियुक्त ने अरहर के खेत में किया था। अरहर के खेत में फसल खड़ी थी, वह चिल्लाई तब उसके चाचा आ गये थे, चाचा के पूंछने पर उसने बताया था कि दुर्वेश ने उसके साथ बुरा काम किया था।

29**. पीडिता के प्रति परीक्षण में भैंस के सींग से चोट लगने की बात सर्वथा झूठ लगती है क्योंकि यदि अगर ऐसा होता तो पीड़िता के वरजाइन स्मियर और कपड़ो में स्परमैटोजोआ का पाया जाना असंभव था। इससे ऐसा परिलक्षित है कि बाद में पीड़िता एवं अभियोगी पर अनुचित प्रभाव एवं दबाव से उन्होंने बाद में गलत बयान दिलवाया गया।**

30. अभियोजन पक्ष के अनुसार तथा कथित घटना दिनांक 03.04.2013 को घटित हुई, वादी की पुत्री के साथ अभियुक्त द्वारा दुराचार किया गया, जिसकी पुष्टि चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के होती है। विचारण न्यायालय के अभिलेख एवं इस न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा सत्र न्यायाधीश के निर्णय के परिशीलन से तथा उन पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त इस न्यायालय का अभिमत है कि तथाकथित घटना को मौखिक एवं दस्तावेजी सबूतों की सहायता से अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है, जिसका उल्लेख उपर्युक्त किया गया है तथा साबित किये गये साक्ष्यों के आधार पर सत्र

न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें उनके उक्त निर्णय में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

31. इस स्तर पर विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दिये गये दण्डादेश पर पुनर्विचार किये जाने हेतु भारतीय दण्ड विधान की धारा 376 (1) & (2) पर विचार किया जाना समीचीन प्रतीत होता है, जोकि निम्नवत हैः-

"[**376.** Punishment for rape- (1) Whoever, except in the cases provided for in sub-section (2), commits rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine."

32. विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दिये गये दण्डादेश पर पुनर्विचार किये जाने हेतु मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा GURMUKH SINGH Vs. STATE OF HARYANA (2009) 15 Supreme Court Cases 635 एवं RAJ BALA Vs. STATE OF HARYANA AND OTHERS (2016) 1 Supreme Court Cases 463 में प्रतिपादित विधि-व्यवस्था एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा CRIMINAL APPEAL No. 2878 of 2013 (Babu Vs. State of U.P.) तथा CRIMINAL APPEAL No. 4378 of 2019 (Shyamveer Vs. State of U.P. And Another) का परिशीलन किया गया।

33. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने पूरकशपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय का ध्यान वरिष्ठ कारागार अधीक्षक सेन्ट्रल जेल फतेहगढ़ की आख्या दिनांक 24.07.2023 की ओर आकृष्ट किया जिसके अनुसार अभियुक्त दुर्वेश उर्फ पप्पू दिनांक 24.07.2023 तक कुल 12 वर्ष 06 माह 15 दिन जेल में निरूद्ध रहा है तथा उक्त तिथि के पश्चात आज निर्णय दिये जाने की तिथि तक वह 01 वर्ष, 01 माह , 8 दिन कारागाह में निरूद्ध रह चुका है। इसप्रकार दोनों का योग करने पर आज की तिथि तक वह 13 वर्ष, 08 माह, 13 दिन कारागार में अपनी सजा भुगत चुका है।

34. सजा के प्रश्न पर विचार करने के स्तर पर हम पाते है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा **376** के तहत सजा सात साल से लेकर उम्र कैद तक होती है**,** जब अदालत किसी अपराध के लिए अधिकतम स्वीकार्य सजा देने के लिए आगे बढ़ती है**,** तो कानून का यह मुख्य सिद्धांत है कि ऐसी अधिकतम सजा देने के लिए कारण दिये जाने चाहिए। हमें ऐसा कोई कारण नहीं मिला की जिसका खुलासा विचारण न्यायालय ने किया

हो अन्यथा हम पाते है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, जो वर्तमान मामले के तथ्यों में अभियुक्त/अपीलार्थी को अत्यधिक सजा देने को उचित ठहरा सके। यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी का यह प्रथम अपराध है और उसके खिलाफ इस अपराध से पूर्व ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं की गयी है। अभियुक्त के सुधरने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। सजा के प्रश्न पर हम दाण्डिक अपील संख्या 2878 वर्ष 2013 (बाबू बनाम उ०प्र० राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2022 में इस न्यायालय की द्वय-पीठ द्वारा दिये गये निर्णय के कुछ प्रासंगिक प्रस्तरों का उल्लेख करना आवश्यक समझते है, जो निम्नवत हैः-

> **"14. While coming to the conclusion that the accused is the perpetrator of the offence, whether sentence of life imprisonment and fine is adequate or the sentence requires to be modified in the facts and circumstances of this case and in the light of certain judicial pronouncements and precedents applicable in such matters. This Court would refer to the following precedents, namely, Mohd. Giasuddin Vs. State of AP, [AIR 1977 SC 1926], explaining rehabilitary & reformative aspects in sentencing it has been observed by the Supreme Court:**
>
> > **"Crime is a pathological aberration. The criminal can ordinarily be redeemed and the state has to rehabilitate rather than avenge. The sub-culture that leads to ante-social behaviour has to be countered not by undue cruelty but by reculturization. Therefore, the focus of interest in penology in the individual and the goal is salvaging him for the society. The infliction of harsh and savage punishment is thus a relic of past and regressive times. The human today vies sentencing as a process of reshaping a person who has deteriorated into criminality and the modern community has a primary stake in the rehabilitation of the offender as a means of a social defence. Hence a therapeutic, rather than an 'in terrorem' outlook should prevail in our criminal courts, since brutal incarceration of the person merely produces laceration of his mind. If you are to punish a man retributively, you must injure him. If you are to reform him, you must improve him and, men are not improved by injuries."**
>
> **15. 'Proper Sentence' was explained in Deo Narain Mandal Vs. State of UP [(2004) 7 SCC 257] by observing that Sentence should not be either excessively harsh or ridiculously low. While determining the quantum of sentence, the court should bear in mind the 'principle of proportionality'. Sentence should be based on facts of a given case. Gravity of offence, manner of commission of crime, age and sex of accused should be taken into account. Discretion of Court in awarding sentence cannot be exercised arbitrarily or whimsically.**
>
> **16. In Ravada Sasikala vs. State of A.P. AIR 2017 SC 1166, the Supreme Court referred the judgments in Jameel vs State of UP [(2010) 12 SCC 532], Guru**

Basavraj vs State of Karnatak, [(2012) 8 SCC 734], Sumer Singh vs Surajbhan Singh, [(2014) 7 SCC 323], State of Punjab vs Bawa Singh, [(2015) 3 SCC 441], and Raj Bala vs State of Haryana, [(2016) 1 SCC 463] and has reiterated that, in operating the sentencing system, law should adopt corrective machinery or deterrence based on factual matrix. Facts and given circumstances in each case, nature of crime, manner in which it was planned and committed, motive for commission of crime, conduct of accused, nature of weapons used and all other attending circumstances are relevant facts which would enter into area of consideration. Further, undue sympathy in sentencing would do more harm to justice dispensations and would undermine the public confidence in the efficacy of law. It is the duty of every court to award proper sentence having regard to nature of offence and manner of its commission. The supreme court further said that courts must not only keep in view the right of victim of crime but also society at large. While considering imposition of appropriate punishment, the impact of crime on the society as a whole and rule of law needs to be balanced. The judicial trend in the country has been towards striking a balance between reform and punishment. The protection of society and stamping out criminal proclivity must be the object of law which can be achieved by imposing appropriate sentence on criminals and wrongdoers. Law, as a tool to maintain order and peace, should effectively meet challenges confronting the society, as society could not long endure and develop under serious threats of crime and disharmony. It is therefore, necessary to avoid undue leniency in imposition of sentence. Thus, the criminal justice jurisprudence adopted in the country is not retributive but reformative and corrective. At the same time, undue harshness should also be avoided keeping in view the reformative approach underlying in our criminal justice system.

17. Keeping in view the facts and circumstances of the case and also keeping in view criminal jurisprudence in our country which is reformative and corrective and not retributive, this Court considers that no accused person is incapable of being reformed and therefore, all measures should be applied to give them an opportunity of reformation in order to bring them in the social stream.

18. …….

19. …….

20. As discussed above, 'reformative theory of punishment' is to be adopted and for that reason, it is necessary to impose punishment keeping in view the 'doctrine of proportionality'. It appears from perusal of impugned judgment that sentence awarded by learned trial court for life term is very harsh keeping in view the entirety of facts and circumstances of the case and gravity of offence. Hon'ble Apex Court, as discussed above, has held that undue harshness should be avoided taking into account the reformative approach underlying in criminal justice system. "

35. संपूर्ण साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् हमारा मानना है कि भारतीय दण्ड संहिता के धारा 376 के तहत अभियुक्त/अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा दिया जाना

न्यायोचित नहीं है और यदि अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता के धारा 376 के तहत न्यूनतम 14 वर्ष की सजा दी जाय तो न्याय की पूर्ति संभव होगी।

36. अतः यह दाण्डिक अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता के धारा 376 के अंतर्गत अभियुक्त /अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को संशोधित करते हुए अभियुक्त को धारा **376** भा.दं.वि. के अन्तर्गत **14** वर्ष की सजा देते हैं तथा धारा ¾ लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को बहाल रखते हैं एवं इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता ह यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 376 भा.दं.वि. एवं ¾ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम इन दोनों धाराओं में अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित कुल अर्थदण्ड की धनराशि रुपया **50,000/-** को भी संशोधित करते हुए उसे कुल रु**. 1,00,000/- (**एक लाख रुपया**)** किया जाता है। अर्थदण्ड की उक्त संशोधित धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को 14 वर्ष के उपरान्त 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा। वसूल की गयी अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रदान किया जाये। दोनो धाराओं में दी गयी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

37. अभियुक्त/अपीलार्थी को कारागार में 14 वर्ष की सजा भुगतने तथा 01 लाख रुपया अर्थदण्ड की धनराशि अदा करने पर जेल से अवमुक्त कर दिया जाय। उपरोक्त संशोधित अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के पश्चात कारागार से मुक्त किया जाये।

38. सुश्री मुस्कान पाण्डेय, जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपस्थित हुई है, वे नियमानुसार अपना शुल्क प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

39. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेज दिया जाय तथा इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित विचारण न्यायालय को अनुपालन हेतु तुरंत भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(न्यायमूर्ति डा० गौतम चौधरी)　　(न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा)

दि० 02.09.2024

शशि मिश्रा / सी.पी. साहनी

Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad